न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/279/2022	2022/483	04.11.2022	14.02.2023

1. पंकज पुत्र मुकेश पौत्र ग्यासीराम जाति माली निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. ग्यासीराम पुत्र जैना जाति माली निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
2. मुकेश,
3. राजेन्द्र,
4. अनिल पुत्रान ग्यासीराम
5. सुनीता पुत्री ग्यासीराम जाति माली निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
6. उप–पंजीयक कोटकासिम जिला अलवर राज0।
7. तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राज0।
8. प्रिंस उदयभान पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
9. उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–असल अप्रार्थीगण

10. पूजा,
11. कविता पुत्रीयान मुकेश
12. सरिता पुत्र मुकेश जाति माली निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री संजय यादव –वकील प्रार्थी
02. श्री जनार्दन शर्मा –वकील अप्रार्थी सं0 8

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी पंकज बनाम ग्यासीराम वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं0 9 द्वारा उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रखकर छोटी छोटी तारीख पेशी नियत की जा रही है। पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं0 9 द्वारा असल अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5 व 8 की सुविधानुसार उनके व उनके वकील के कहे अनुसार तारीख पेशी नियत करते है। पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं0 9 द्वारा प्रार्थी व उसके वकील पर प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस करने का दबाव दिया जाता है। पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं0 9 द्वारा भरी अदालत में ऐलानिया तौर पर कहा कि प्रकरण में जल्दी से जल्दी बहस करो अन्यथा आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से प्रकरण का निस्तारण कर प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व दावा खारिज करवा दूंगा। असल अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5 व 8 को प्रार्थी ने कई बार पीठासीन अधिकारी के निवास व चैम्बर में आते–जाते देखा है। मुझे पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई

जिला कलक्टर, अलवर

उम्मीद नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 8 की ओर से जवाब/बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पेश मुंतकिल प्रा0पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन वाद को अन्य किसी भी न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली में उभय–पक्षकारो की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं की आपसी सहमति के आधार पर दिनांक नियत की जाती है। प्रार्थी को कथन असत्य व मनगढंत है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी यदि उक्त वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। उक्तानुसार प्रथमदृष्ट्या प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी पंकज बनाम ग्यासीराम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर (राज.)